

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
मांग संख्या 6
उर्वरक विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

		(करोड़ रुपए)								
मुख्य शीर्ष		बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		18.50	12657.84	12676.34	14.80	13806.74	13821.54	25.50	14176.70	14202.20
पूंजी		178.50	150.00	328.50	150.00	300.00	450.00	181.50	200.00	381.50
जोड़		197.00	12807.84	13004.84	164.80	14106.74	14271.54	207.00	14376.70	14583.70
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	5.77	5.77	...	5.75	5.75	...	5.77	5.77
फसल कार्य										
2. आयातित उर्वरकों पर आर्थिक सहायता	2401	...	500.00	500.00	...	1.00	1.00	...	500.00	500.00
2.1 नियंत्रण मुक्त किए गए उर्वरकों की										
रियायती बिक्री के लिए विनिर्माताओं/										
एजेंसियों को भुगतान	2401	...	4093.00	4093.00	...	4319.00	4319.00	...	5714.00	5714.00
उर्वरक उद्योग										
3. देशी उर्वरकों पर आर्थिक सहायता	2852	...	8058.00	8058.00	...	9480.00	9480.00	...	7956.00	7956.00
4. भारत-यूनाइटेड किंगडम उर्वरक विकास कार्यक्रम										
4.01 बारानी खेती के लिए कृषकों को अनुदान	2852	13.00	...	13.00	9.30	...	9.30	12.20	...	12.20
	जोड़	13.00	...	13.00	9.30	...	9.30	12.20	...	12.20
5. उर्वरक विकास के लिए अन्य अनुसंधान योजना										
5.01 अनुसंधान और विकास के लिए पी.डी.आई.एल को अनुदान	2852	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	2.00	...	2.00
5.02 एस. एंड टी. कार्यक्रम	2852	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
	जोड़	4.30	...	4.30	4.30	...	4.30	2.30	...	2.30
6. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण										
6.01 हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड	6855	...	65.00	65.00	...	118.70	118.70	...	79.00	79.00
6.02 फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.	6855	...	70.00	70.00	...	143.00	143.00	...	96.00	96.00
6.03 प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट (इंडिया) लि.	6855	9.30	9.30	...	6.00	6.00
6.04 पाईराइट्स, फॉस्फोरस एण्ड केमिकल्स लि.	6855	...	15.00	15.00	...	29.00	29.00	...	19.00	19.00
	जोड़	...	150.00	150.00	...	300.00	300.00	...	200.00	200.00
7. राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया गया व्यय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन	2852	10.00	...	10.00
8. उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	4552	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
9. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	4855	36.50	...	36.50	36.50	...	36.50	77.50	...	77.50
	6855	122.00	...	122.00	113.50	...	113.50	84.00	...	84.00
	जोड़	158.50	...	158.50	150.00	...	150.00	161.50	...	161.50
10. अन्य कार्यक्रम	2852	1.20	1.07	2.27	1.20	0.99	2.19	1.00	0.93	1.93
कुल जोड़		197.00	12807.84	13004.84	164.80	14106.74	14271.54	207.00	14376.70	14583.70
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
9.01 फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया	12855	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
9.02 फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.	12855	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	45.00	...	45.00
9.03 पाईराइट्स, फार्फेड्स एण्ड केमिकल्स लि.	12855	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
9.04 नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	12855	...	125.00	125.00	...	144.42	144.42	...	159.73	159.73
9.05 हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन	12855	80.00	...	80.00	55.50	...	55.50	60.00	...	60.00

विकास शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
9.06 प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट (इंडिया) लि.	12855	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	1.00
9.07 पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड	12855	12.49	...	12.49	12.49	...	12.49	...	12.49
9.08 राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	12855	...	600.00	600.00	...	170.00	170.00	...	170.30
9.09 मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	12855	25.00	...	25.00	21.00	...	21.00	...	21.00
9.10 इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि.	12855	...	250.00	250.00	...	138.00	138.00	...	212.00
9.11 कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड	12855	...	700.00	700.00	...	190.45	190.45	...	400.00
जोड़		178.50	1675.00	1853.50	150.00	642.87	792.87	161.50	942.03
ग. आयोजना परिव्यय									
1. उर्वरक उद्योग	12855	197.00	1675.00	1872.00	164.80	642.87	807.67	207.00	942.03

1. इसमें विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. चूंकि उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है, इसलिए कमी को पूरा करने के लिए आयात का प्रबन्ध किया जाता है। इसकी लागत में मोटे तौर पर आयातित उर्वरकों की कीमत और उर्वरक उताने-धरने तथा उनके वितरण की लागत शामिल होती है। किसानों को आयातित उर्वरकों की बिक्री की कीमतें उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत नियंत्रित की जाती हैं और इस प्रकार उपभोक्ता कीमतें सांविधिक रूप से विनियमित होती हैं। यह विक्रय मूल्य स्वदेशी उत्पादन के विक्रय मूल्य जैसा ही होता है किसानों को उर्वरकों की बिक्री से प्राप्त राशि और आयात की सरकारी लागत के बीच का अन्तर उर्वरकों के आयात पर दी जाने वाली सब्सिडी का द्योतक है।

2.01 इसमें किसानों के लिए रियायती दर पर फास्फेटी और पोटशी उर्वरकों की नियंत्रण मुक्त की गई बिक्री की योजना के अधीन विनिर्माताओं/एजेंसियों को भुगतान करने के लिए व्यवस्था है। इस रियायत से मिट्टी की बेहतर लाभदायकता और उत्पादकता के लिए उर्वरक (एनपीके) पोषकों का संतुलित प्रयोग होगा। इस प्रयोजन के लिए प्रावधान वर्ष 2000-2001 में कृषि और सहकारिता विभाग की मांग में किया गया था। अब इसे उर्वरक विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है।

3. यह व्यवस्था उर्वरक प्रतिधारण मूल्य स्कीम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के लिए है, जिसमें यूरिया के उत्पादन के लिए भाड़े संबंधी आर्थिक सहायता भी शामिल है। यह सब्सिडी स्कीम किसानों को उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने और उर्वरकों के उत्पादकों को उनके निवेश पर उचित लाभ दिलाने के लिए है। उर्वरकों की बिक्री उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत समय-समय पर निर्धारित निर्गम मूल्यों पर की जाती है।

4. यह व्यवस्था वर्षासिंचित कृषि परियोजना के लिए है जो यूनाइटेड किंगडम से ओ.डी.ए. अनुदान के अन्तर्गत कृषकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। (ई.ए.पी.)

5. प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट (इंडिया) लिमिटेड (पी.डी.आई.एल.) को अनुदान देने का उद्देश्य उर्वरक उद्योगों के लिए उत्प्रेरक विकास तथा आवश्यक तकनीकी जानकारी हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करना है। इसमें एस एंड टी कार्य के साथ जैव-उर्वरकों के उत्पादन की आवश्यक जानकारी के विकास के लिए व्यवस्था शामिल है।

6. एच. एफ. सी. और एफ.सी.आई., पी.डी.आई.एल. और पी.पी.सी.एल. के लिए आयोजना-भिन्न ऋणों की व्यवस्था करने का उद्देश्य यह है कि ये कम्पनियां अपनी नकदी संबंधी समस्याओं को हल कर सकें। एफ.सी.आई. और एच.एफ.सी. रुग्ण कम्पनियां हैं जिन्हें एस.आई. सी.ए. के तहत पी.आई.एफ.आर. के लिए भेजा गया है। पी.पी.सी.एल. ने अपने सभी क्रियाकलाप बंद कर दिए हैं।

7. इसमें प्रचालन और व्यवहार्य यूनियो/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था है।

8. यह प्रावधान उत्तरपूर्वी क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए है।

9. सरकारी उद्यमों में निवेश

इन उद्यमों के बजट सहायता की इक्विटी और ऋण-वार ब्यौरे और आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधन व्यय बजट खण्ड-I में दिए गए हैं।

9.01 **भारतीय उर्वरक निगम (एफ.सी.आई.)** यह कम्पनी नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेटयुक्त उर्वरकों और कुछ औद्योगिक रसायनों का उत्पादन और विपणन करती है। इस पुनर्गठित निगम के चार मुख्य चालू एकक हैं अर्थात् सिंदरी, गोरखपुर, तलचर और रामगुण्डम, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 5.87 लाख टन नाइट्रोजन का उत्पादन करने की है।

9.02 **उर्वरक और रसायन ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ.ए.सी.टी.)** इस कंपनी में नाइट्रोजनी और फास्फेटी उर्वरकों, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सल्फर डायआक्साइड आदि का उत्पादन होता है। कंपनी के तीन चालू एकक हैं : एक उद्योगमंडल में तथा अन्य दो कोचीन में हैं। इन तीनों एककों की स्थापित क्षमता 3.25 लाख टन नाइट्रोजन और 1.32 लाख टन पी2 ओ5 और 0.50 लाख मी. टन कैपरोलैक्टम का उत्पादन करने की है।

9.03 **पाइराइट्स, फास्फेट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (पी.पी.सी.एल.)** सांकेतिक प्रावधान किया गया है क्योंकि इस कंपनी की सभी गतिविधियां बंद हो गई हैं।

9.04 **राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एन.एफ.एल.)** कंपनी के 5 एकक अर्थात् नांगल-I और नांगल-II भटिंडा, पानीपत और विजयपुर हैं, जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 13.70 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन के उत्पादन की है।

कम्पनी ने भटिंडा, पानीपत और नांगल में नांगल आधुनिकीकरण संयंत्र चरण-I में अपने उर्वरक संयंत्रों में केप्टिव विद्युत संयंत्र चालू किए हैं। 1071.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से गुना, मध्यप्रदेश में विजयपुर विस्तार परियोजना जो 7.26 लाख मी. टन प्रतिवर्ष की अतिरिक्त क्षमता का सृजन कर रही है, 1997 में शुरु की गई।

9.05 **हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड (एच.एफ.सी.एल.)** इस कंपनी के 6.53 लाख टन नाइट्रोजन उत्पादन की संस्थापित क्षमता वाले पाँच एकक काम कर रहे हैं अर्थात् नामरूप-I, नामरूप-II, बरौनी, दुर्गापुर और नामरूप-III। 1-11-1994 से क्षमता को कम करके 4.24 मी. टन कर दिया गया है।

9.06 **प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पी.डी.आई.एल.)** इसमें उर्वरकों के क्षेत्र में रूपांकन इंजीनियरी और परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाला एकक, अनुसंधान और विकास प्रभाग तथा उपस्कर और पात्रों (वेसलों) का निर्माण करने वाली कर्मशाला है जो रूपांकन इंजीनियरी, तकनीकी अधिप्राप्ति, पर्यवेक्षण, निर्माण और कमीशनिंग आदि के क्षेत्र में उर्वरक कंपनियों की सहायता कर रही है। यह कम्पनी उर्वरक उद्योग के लिये उत्प्रेरकों के उत्पादन का काम भी करती है।

9.07 **पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड (पी.पी.एल.)** यह कम्पनी उड़ीसा के पारादीप में पारादीप उर्वरक परियोजना को क्रियान्वित कर रही है, जिससे दो चरणों में 7.20 लाख टन डाइ-अमोनिया फास्फेट (डी.ए.पी.), 6.6 लाख टन सल्फ्यूरिक अम्ल और 2.25 लाख टन फास्फोरिक अम्ल उत्पादन की परिकल्पना की गई है।

9.08 **राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड (आर.सी.एफ.एल.)** यह कम्पनी नाइट्रोजनी और फास्फेटी उर्वरकों तथा कुछ औद्योगिक उत्पादों जैसे मेथानोल, अमोनियम नाइट्रेट आदि के उत्पादन में लगी है। इस समय कम्पनी की चार चालू यूनियटें अर्थात् ट्राम्बे, ट्राम्बे-4, ट्राम्बे-5 और थाल हैं, जिनकी संस्थापित क्षमता 10 लाख टन नाइट्रोजन और 1.20 लाख टन पी2 ओ5 तथा 0.45 लाख टन के2ओ का उत्पादन करने की है।

9.09 **मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम.एफ.एल.)** यह कम्पनी संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी थी, जिसमें भारत सरकार, नेशनल इरानियन आयल कम्पनी और संयुक्त राज्य अमरीका में निगमित एमोको इंडिया की भागीदारी थी। एमोको इंडिया के शेयर आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा और आंशिक रूप से नेशनल इरानियन आयल कम्पनी द्वारा खरीद लिए गए हैं। यह कम्पनी यूरिया और मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करती है।

9.10 **भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संघ लिमिटेड (इफको)** इस कम्पनी के चार चालू एकक गुजरात में कांडला और कलोल तथा उत्तर-प्रदेश में फूलपुर और आंवला हैं।

9.11 **कृषक भारती सहकारी समिति लिमिटेड (कृभको)** कृषक भारती सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा गुजरात में हजीरा नामक स्थान पर एक बड़े आकार के अमोनिया/यूरिया काम्प्लेक्स का निर्माण सहकारी क्षेत्र में किया गया है। प्राकृतिक गैस पर आधारित इस परियोजना की स्थापित क्षमता 6.68 लाख टन नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादन की है।

10 उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के कार्यालय जो कि उर्वरक विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय है, हेतु आयोजना-भिन्न सहायता प्रबंध सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुदान और उर्वरक उद्योग के क्षेत्र में उत्पादकता पुरस्कार के लिए अनुदान।